

30/10/25 पञ्चवली पेश हुआ उभय पक्ष उपो।
उभय पक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी
है। विज्ञान अधिकारों की मौखिक बहस।
पञ्चवली में उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्य/ नक्शों
कुराना के आधार पर वादी का वाद
अन्तिम डिक्ली किया जागा न्यायोचित
पुलित होना है अतः वादी का वाद मुलानि
नक्शों कुराना, अन्तिम डिक्ली किया
जाता है। विस्तृत निर्णय प्रथम श्रेणी
किया जाकर शामिल मिसल है। पञ्चवली
केसल सुमाट होकर दर्त वेस काग होना
देखिल है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
जागा।

न्यायाधीश अधिकारी
समरलक